

East Central Railway

No. CS/SPARROW/Gaz/DDU/25

DDU,

dt. 14.01.2026

All Branch Officers,
E. C. Railway, DDU.

Sub: - Submission of Movable/Immovable Property Return for the year 2025 (upto 31.12.2025 as on 01.01.2026).

Ref: - SDGM/ECR/HJP L. No. ECR/ADMIN/AIPR/Corres, dt. 07.01.2026.
(Copy enclosed)

As subjected above, a copy of SDGM/ECR/HJP letter mentioned under reference is enclosed herewith which is self-explanatory wherein it has advised for filling-up of Annual Movable/Immovable Property Return up to 31.12.2025 as on 01.01.2026 for all Gazetted officers and its online submission through SPARROW module as per details mentioned below: -

Sl. No.	Details	Remarks
1	Details of Immovable Property	Form- Annexure 'A' This form is for the officers who are working on Gazetted post before the year 2025 and have already submitted their particulars in Annexure 'B'.
2	Details of Movable/Immovable Property	Form- Annexure 'B' (i) These I to V set of forms are mandatory for the officers who have joined on Gazetted posts during the year 2025. (ii) This set is also mandatory for the officers who have not submitted the Movable/Immovable Property Return till now. They have to submit both the Annexures 'A' & 'B'.

Further, it is also informed that, no Vigilance Clearance will be issued in favour of officers, who have not submitted their AIPRs on time i.e. up to 31st January 2026. The navigation tab for IPR Module is available in the menu on Home Page of SPARROW i.e. www.sparrow.railnet.gov.in.

In view of above, it is requested to kindly fill your AIPR for up to 31.12.25 as on 01.01.2026 and instruct all the Gazetted officers under your administrative control to fill their IPR through online IPR module under SPARROW till 31.01.2026 positively.

This may please be treated as MOST IMPORTANT.

DA-As above.

(Sumit Chatterjee)

APO,

for Sr. Divnl. Personnel Officer,
E. C. Railway, DDU

Copy to: -

1. PS to DRM/DDU for kind information of DRM please.
2. PS to ADRM for kind information of ADRM/DDU please.

for Sr. Divnl. Personnel Officer,
E. C. Railway, DDU

EAST CENTRAL RAILWAY

**Office of the
General Manager
Hajipur.**

No. ECR/ADMN/ AIPR/Corres.

Dt: 06.01.2026

**AGM,
All P/CHODs,
CAO (Con)/N & S, CAO(RSP)/MHX
CAOs/GLP,
CWM/DDU, SPJ & HRT,
DGM(G) & CPRO,
DRMs/DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ
E.C.Railway.**

Sub: Submission of Movable/Immovable Property Return for the year 2025
(Up to 31.12.2025 as on 01.01.2026).

Ref: (i) Railway Board's letter No. 2022/V-1/VP/ AIPR/1/1 dated 17.11.2022.
(ii) Railway Board's letter No. 2019/SCC/03/01 dated 21.02.2019.
(iii) Asst/Secy/Conf./HJP letter No. ECR/ADMIN/IPR/Correspondence dated 10.12.2025 & 26.12.2025.

Vide Railway Board's letter at (i) above, on-line submission of Annual Movable/Immovable Property Return on SPARROW, was introduced for all Gazetted Officers.

Further, Railway Board, vide their letter at (ii) above, have decided that no Vigilance Clearance will be issued in favour of officers, who have not submitted their AIPRs on time i.e. up to 31st January. In this connection, Asst/Secy/Conf./HJP vide his letter at (iii) above has already circulated the target date regarding submitting their Property Return.

It is often noted that due to lack of wide publicity of this letter, objection is lodged by some officers that this letter has not come to their notice and they didn't submit their Property Return on time. It is, therefore, requested that wide circulation of this letter should be ensured.

This may be treated at urgent.

**PANKAJ
KUMAR SINHA
(P.K.Sinha)**
Sr. Dy. General Manager

Digitally signed by
PANKAJ KUMAR SINHA
Date: 2026.01.07 11:02:20

Copy to: Secy to GM- For kind information to GM.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.2022/V-1/NP/AIPR/1/1

Rail Bhavan, New Delhi
Dated 17.11.2022

The SDGMs/CVOs,
All Indian Railways.

Sub: Timely filing of Annual Immovable Property Return by
Railway officers – reg.

As you are aware, the Central Vigilance Commission (CVC) vide its guidelines dated 16.03.2022 has advised that timely filing of AIPR is a mandatory pre-condition for vigilance clearance. Therefore, all Ministries/Departments/Organizations have been requested to ensure that all officers, for whom vigilance input is solicited from the Commission, have filed AIPR within the stipulated time limit. Vigilance clearance shall be denied by the Commission to an officer if he fails to submit his annual immovable property return of the previous year by 31st January of the following year, as required under the extant instructions of the Government of India. Thus, it is evident that filing of AIPR on time is a mandatory pre-condition for grant of vigilance clearance by CVC.

2. Subsequent to issue of above-mentioned instructions, while considering proposals of grant of vigilance clearance related to empanelment of Railway officers under Central Staffing Scheme, other higher-level appointments etc., it was noticed that a large number of officers had failed to file their AIPR for the previous year within the prescribed time limit. This has been seen as a matter of concern. It is certainly an area where it is important that awareness be inculcated amongst officers so that they file their AIPR timely and avoid being in a situation where higher-level appointments are negated on account of denial of vigilance clearance by CVC.

3. The matter has, accordingly, been considered and the competent authority has desired that SDGMs/CVOs should take necessary steps to disseminate the importance of filing of AIPR in time by Railway officers through periodic circulars and training programmes. It would be appreciated that as a part of preventive vigilance, it becomes essential to put in place remedial measures to address the vulnerabilities in the systems and procedures. Special emphasis should be made to propagate this important message immediately since filing of AIPR for the ensuing year is to be done shortly.

4. Receipt of this letter may be acknowledged.

224
17.11.22
(S.M. Pandey)
Exec. Dir. Vig. (Engg.)
Railway Board

Copy for information and necessary action to:

1. All General Managers/DGs,
Indian Railways/Production Units/Training Institutes
2. PSOs/Sr PPSs to CRB MF MO&BD, M. M. TRS, DG/RPF, DG/P&S, Secretary,
PED Vig., Railway Board

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2019/SCC/03/01

New Delhi, Dated 27.02.2019

The General Managers
All Zonal Railways, PUs, PSUs
Training Institutes etc.

Subject: Filling up IPRs of officers in the SPARROW system.

The SPARROW system for online filling of APARs has already been put in place for the officers from Junior Scale and above.

The SPARROW system devised by NIC also contains provision for filing of Immovable Property Return (IPR) of officers. IAS, IPS and other AIS officers fill their IPRs in the SPARROW system. In Railways, filing of IPRs is done manually. Besides causing administrative inconvenience, empanelment of Railway officers under Central Staffing Scheme also gets delayed due to the time taken in collecting the information regarding IPRs from the officers/Railways concerned and transmitting the same to DOP&T.

In view of the above, it has been decided to introduce online filling of IPR for which IPR Module has been designed and would become operational w.e.f. 01.02.2020 to enable the officer to file the return online. The navigation tab for IPR Module has been provided in the menu on Home Page of SPARROW (<https://sparrow.railnet.gov.in>). Accordingly, IPRs filled through other forms will not be accepted. *pl.*

All the officers may be advised suitably.

20/02/19
(Pramila H Bhargava)
Joint Secretary (Conf.)
Railway Board

Board Members, DGs, AMs, Secretary/RB, PEDs, EDs, Directors & all officers in Board Office and Pragati Maidan.

अनुस्मारक-।

पूर्व मध्य रेल



महाप्रबंधक कार्यालय
हाजीपुर-844101
Office of the General Manager,
Hajipur
Phone-Rly.-22016
P&T-06224-271343

संख्या-इसीआर/प्रशासन/एपीआर/पत्राचार

दिनांक 26.12.2025

सभी विभागाध्यक्ष/पूमरे/हाजीपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/उत्तर,दक्षिण एवं आरएसपी, महेन्दुघाट, पटना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (जीएलपी) पटना,
मुख्य कारखाना प्रबंधक (पीडी)/डीडीयू, मुख्य कारखाना प्रबंधक/समस्तीपुर,
मुख्य कारखाना प्रबंधक/सीआरडब्ल्यू/पूमरे/हरनौत
मंडल रेल प्रबंधक/पूमरे/सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, डीडीयू एवं धनबाद
अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/पटना एवं मुजफ्फरपुर,
उप महाप्रबंधक(सा0)/पूमरे/हाजीपुर एवं उप महाप्रबंधक(विधि)/पूमरे/महेन्दुघाट/पटना

विषय- चल-अचल संपत्ति वर्ष 2025 के विवरण की प्रस्तुती ।
(up to 31.12.25/As on 01.01.2026)

संदर्भ- (1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2019/SCC/03/01 Dt. 21.02.2019
(2) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.12.2025

संदर्भित पत्र (2) के द्वारा यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा सभी अधिकारियों द्वारा SPARROW Portal पर ONLINE भरा जाना है । ज्ञातव्य हो कि उक्त Portal पर directly या Scan कर अपलोड भी किया जा सकता है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है जैसे अधिकारीगण जो पहली बार राजपत्रित पद पर पदभार ग्रहण किए हैं, उन्हें नीचे स्पष्ट किए गए फार्म पर अपना चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिनांक 31.01.2026 तक भरना है । इस संबंध में सुलभ संदर्भ हेतु फार्मों का नमूना हिन्दी एवं अंग्रेजी में संलग्न है।

	अचल संपत्ति का विवरण:-	
(1)	अचल संपत्ति का विवरण	Form-Annexure 'A' यह फार्म उन अधिकारियों के लिए है जो वर्ष 2025 के पहले से ही राजपत्रित पद पर कार्यरत हैं और Annexure 'B' में संलग्न फार्म पर अपना विवरण पूर्व में दे चुके हैं।

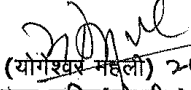
(2)	चल-अचल सम्पत्ति का विवरण	Form-Annexure 'B' (i) यह सेट-I से V तक उन अधिकारियों के लिए है जो वर्ष 2025 में राजपत्रित पद पर पदभार ग्रहण किए हैं और यह अनिवार्य है। (ii) यह सेट उन अधिकारियों के लिए भी है जिन्होंने राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद अभी तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं दिए है। अतः वे अधिकारी Annexure 'A' और Annexure 'B' फार्म दोनों पर देंगे।
-----	--------------------------	---

टिप्पणी- (i) प्रायः यह देखा गया है कि इस पत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण कुछ अधिकारियों द्वारा यह आपत्ति दर्ज की जाती है कि यह पत्र उनके संज्ञान में नहीं आया है अतएव वे **online** अपना चल-अचल संपत्ति ब्योरा नहीं पूर्ण कर पाते हैं। अतः पुनः अनुरोध है कि इस पत्र का उचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित की जाए।

(ii) It may be noted that the calender for filing IPR will be strictly adhered to from the year 2025 onwards.

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

संलग्नक-यथोपरि (फार्मों का नमूना)


 (योगेश्वर महेश) 26/12/25
 सहायक सचिव(गोपनीय)
 कृते महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर

पूर्व मध्य रेल



महाप्रबंधक कार्यालय
हाजीपुर-844101
Office of the General Manager,
Hajipur
Phone-Rly.-22016
P&T-06224-271343

संख्या-इसीआर/प्रशासन/एपीआर/पत्राचार

दिनांक 10.12.2025

सभी विभागाध्यक्ष/पूमरे/हाजीपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/उत्तर,दक्षिण एवं आरएसपी, महेन्द्रघाट, पटना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (जीएलपी) पटना,
मुख्य कारखाना प्रबन्धक (पीडी)/डीडीयू, मुख्य कारखाना प्रबंधक/समस्तीपुर,
मुख्य कारखाना प्रबन्धक/सीआरडब्ल्यू/पूमरे/हरनौत
मंडल रेल प्रबंधक/पूमरे/सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, डीडीयू एवं धनबाद
अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/पटना एवं मुजफ्फरपुर,
उप महाप्रबंधक(सा0)/पूमरे/हाजीपुर एवं उप महाप्रबंधक(विधि)/पूमरे/महेन्द्रघाट/पटना

विषय- चल-अचल संपत्ति वर्ष 2025 के विवरण की प्रस्तुती ।
(up to 31.12.25 /As on 01.01.2026)

संदर्भ- रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2019/SCC/03/01 Dt. 21.02.2019

संदर्भित पत्र के द्वारा यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा सभी अधिकारियों द्वारा SPARROW Portal पर ONLINE भरा जाना है । ज्ञातव्य हो कि उक्त Portal पर directly या Scan कर अपलोड भी किया जा सकता है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है वैसे अधिकारीगण जो पहली बार राजपत्रित पद पर पदभार ग्रहण किए हैं, उन्हें नीचे स्पष्ट किए गए फार्म पर अपना चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा भरना है । इस संबंध में सुलभ संदर्भ हेतु फार्मों का नमूना हिन्दी एवं अंग्रेजी में संलग्न है।

	अचल सम्पत्ति का विवरण:-	
(1)	अचल सम्पत्ति का विवरण	Form-Annexure 'A' यह फार्म उन अधिकारियों के लिए है जो वर्ष 2025 के पहले से ही राजपत्रित पद पर कार्यरत हैं और Annexure 'B' में संलग्न फार्म पर अपना विवरण पूर्व में दे चुके हैं।

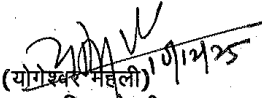
(2)	चल-अचल सम्पत्ति का विवरण	Form-Annexure 'B' (i) यह सेट-I से V तक उन अधिकारियों के लिए है जो वर्ष 2025 में राजपत्रित पद पर पदभार ग्रहण किए हैं और यह अनिवार्य है। (ii) यह सेट उन अधिकारियों के लिए भी है जिन्होंने राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद अभी तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं दिए है। अतः वे अधिकारी Annexure 'A' और Annexure 'B' फार्म दोनों पर देंगे।
-----	--------------------------	---

टिप्पणी- (i) प्रायः यह देखा गया है कि इस पत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण कुछ अधिकारियों द्वारा यह आपत्ति दर्ज की जाती है कि यह पत्र उनके संज्ञान में नहीं आया है अतएव वे **online** अपना चल-अचल सम्पत्ति ब्योरा नहीं पूर्ण कर पाते हैं। अतः पुनः अनुरोध है कि इस पत्र का उचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित की जाए।

(ii) It may be noted that the calender for filing IPR will be strictly adhered to from the year 2025 onwards.

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

संलग्नक-यथोपरि (फार्मों का नमूना)


 (योगेश्वर महली)
 सहायक सचिव (गोपनीय)
 कृते महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

ANNEXURE A

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR 2024-25 (UP TO 31.12.2025/AS ON 01.01.2026)

1. Name of the officer (in full) :
2. Date of Birth :
3. Service to which the officer belongs :
4. Present Post held :
5. Present Scale with Basic Pay :

Name of District of sub-division, Taluka or village in which property is situated.	Name of details of property, housing, land or other building.	Present value **	If not in own name held.	How acquired whether purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise, with date of acquisition and name with whom acquired.	Annual income from the property.	Remarks

Signature :
Name :
Date :

Countersigned by DPM/PTOD

- Inapplicable clause to be struck out.

** In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present condition may be indicated.

@ Includes short-term lease also.

पूर्व मध्य रेल

अनुलग्नक-ए

वर्ष 2025 से संबंधित अचल संपत्ति का विवरण (दि० 31.12.2025 तक / 01.01.2026 की स्थिति पर)

- 1. अधिकारी का पूरा नाम -
- 2. जन्म तिथि -
- 3. अधिकारी का सेवा संवर्ग -
- 4. वर्तमान पद -
- 5. मूल वेतन सहित वर्तमान वेतनमान -

खिला अनुमंडल, तालुका या ग्राम का नाम जहां संपत्ति अवस्थित है	संपत्ति, मकान, भूमि या अन्य नवन का नाम व विवरण	वर्तमान मूल्य	यदि संपत्ति स्वयं के नाम से हो, उसका नाम बताएं	संपत्ति किस प्रकार अर्जित की - कय बंधक, लीज, उत्तराधिकार, उपहार या अन्य तरीके से संपत्ति के अधिग्रहण की तिथि तथा उन व्यक्तियों के नाम एवं विवरण जिनसे संपत्ति प्राप्त की	संपत्ति से प्राप्त वार्षिक आय	टिप्पणी

हस्ताक्षर -
नाम -
पद -
दिनांक -

मं०रे०प्र०/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

- जो लागू न हो उसे काट दें।
- यदि मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो तो वर्तमान स्थिति के अनुरूप अनुमानित मूल्य दर्शाएं।
- / इसमें अत्यधिक लीज भी शामिल है।

31 दिसम्बर 2025 तक / 01.01.2026 की स्थिति को प्रथम नियुक्ति पर परिसम्पत्तियों तथा देयता की विवरणी

	जन्म तिथि-
1. सरकारी कर्मचारी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	-
2. सेवा-संवर्ग, (विभाग/ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी')	-
3. अद्यतन कुल सेवा अवधि	-
(i) राजपत्रित पद पर	-
(ii) अराजपत्रित पद पर	-
4. वर्तमान पद व तैनाती स्थल	-
5. 01 जनवरी से ठीक पूर्व कैलेंडर वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय	-
6. घोषणा-	

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आवरण) नियम, 1964 के नियम 18 के उपबंधों के तहत भरे द्वारा फॉर्म I से V तक में प्रस्तुत संलग्न विवरणी भरी जानकारी और विवरणों से पूर्ण, सत्य तथा सही है।

दिनांक

हस्ताक्षर

टिप्पणी-

1. इस विवरणी में सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सभी परिसंपत्तियों एवं देयता के विवरण होंगे।
2. यदि कोई सरकारी कर्मचारी अधिभोजित हिन्दू परिवार का सदस्य है तथा किसी 'कर्ता' या सदस्य के रूप में परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी रखता है तो उसे ऐसी संपत्ति में अपने हिस्से के मूल्य को विवरणी के फॉर्म नं 1 में दर्शाना चाहिए एवं जहाँ ऐसे हिस्से के सही मूल्य को दर्शाना संभव न हो तो अनुमानित मूल्य को दर्शाये। जहाँ आवश्यक हो, उचित एवं स्पष्ट टिप्पणी दर्ज करें।

फॉर्म-I

31 दिसम्बर 2025 तक / 01.01.2026 की स्थिति को प्रथम नियुक्ति पर अवल संपत्ति का विवरणी
(भूमि, मकान, दूकानें, अन्य भवन इत्यादि)

क्रम सं०	संपत्ति का विवरण	संक्षिप्त लोकेशन (जिला,मंडल,तालुका एवं ग्राम) जहां संपत्ति अवस्थित है तथा इसकी अलग-अलग संख्या इत्यादि भी	भूमि का क्षेत्रफल(भूमि व भवन की स्थिति में)	भूमि का स्वरूप (भू-संपत्ति की स्थिति में)	हिस्सेदारी	यदि स्वयं से नहीं तो जिसके नाम से है, उसका नाम बताएं और उसका सरकारी कर्मचारी से संबंध यदि कोई हो	अधिग्रहण की तारीख	संपत्ति किस प्रकार मांग की (क्या,बंधक,लीज, उत्ताधिकार या उपहार या अन्य तरीके से) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम व विवरण जिनसे संपत्ति प्राप्त की (संबन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों का पता व उनका सरकारी कर्मचारी से संबंध) (कृपया नीचे टिप्पणी सं० 1 देखें)	संपत्ति का मूल्य (नीचे टिप्पणी 2 देखें)	सिद्धि प्राप्तिकारी की स्वीकृति का विवरण यदि कोई हो	संपत्ति से प्राप्त कुल वार्षिक आय	टिप्पणी

दिनांक

हस्ताक्षर

[कृपया पूरा भर दें]

टिप्पणी-

1. कॉलम-9 में पद 'लीज' का तात्पर्य अवल संपत्ति का वर्ष से वर्ष तक का 'लीज' से है या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि या एक वर्ष के किया या तक सीमित है तथापि जहां अवल संपत्ति का 'लीज' किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जिसमें एक सरकारी कर्मचारी के साथ कार्यालयी लेन-देन शामिल है, इस प्रकार के लीज को इस कॉलम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, चाहे लीज की अवधि कम अवधि की हो या अधिक अवधि की।
2. कॉलम 10 में प्रदर्शित किया जाए-
 - (क) जहाँ संपत्ति कय बंधक या 'लीज' द्वारा प्राप्त की गयी हो, इस प्रकार प्राप्त के लिए अदा की गयी रकम या प्रीमियम।
 - (ख) जहाँ इसे 'लीज' पर प्राप्त किया गया हो, उसका कुल वार्षिक क्रियाया एवं
 - (ग) जहाँ इसे उत्ताधिकार, उपहार या आदान-प्रदान द्वारा प्राप्त हो तो इस प्रकार से प्राप्त संपत्ति का अनुमानित मूल्य।

फॉर्म-II

31 दिसम्बर 2025 तक / 01.01.2026 की स्थिति को प्रथम नियुक्ति पर अवल संपत्ति का विवरणी

- नकद तथा बैंक शेष, 3 माह की परिलब्धियों से अधिक
- जमा, ऋण, अग्रिम तथा निवेश (जैसे- शेयर, प्रतिभूतियां, ऋणपत्र इत्यादि)

क्रम सं०	विवरण	कम्पनी, बैंक इत्यादि का नाम व पता	राशि	यदि संपत्ति स्वयं के नाम से नहीं हो तो जिसके नाम से हो उसका पता एवं उनका सरकारी कर्मचारी से संबंध	प्राप्त वार्षिक आय	टिप्पणी

दिनांक

हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- कॉलम 7 में, विभिन्न लेन-देन के संबंध में तैयार रपट या प्राप्त मंजूरी के संबंध में विवरण दिए जाएं।
- ‘परिलब्धियों’ का तात्पर्य सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन तथा भत्तों से है।

फॉर्म-III

31 दिसम्बर 2025 तक / 01.01.2026 की स्थिति को प्रथम नियुक्ति पर अवल संपत्ति का विवरणी

क्रम सं०	मदों का विवरण	भाड़े पर या किरातों के आधार पर खरीदी गयी वस्तुओं की स्थिति, यथास्थिति प्राप्ति के समय मूल्य या कीमत एवं या विवरणी की तिथि तक किया गया कुल भुगतान	यदि स्वयं के नाम से नहीं हो तो जिसके नाम से हो उसका पता एवं उनका सरकारी कर्मचारी से संबंध	संपत्ति किस प्रकार अर्जित की/प्राप्ति की अनुमानित तिथि	टिप्पणी

टिप्पणी-

- इस फॉर्म में इन मदों से संबंधित विवरण दिए जायें जैसे- (क) उसके स्वामित्व का आभूषण (कुल मूल्य), (ख) उसके स्वाधिकृत की चादी एवं अन्य मूल्यवान धातु तथा कीमती रत्न जो आभूषण का भाग नहीं हो (कुल मूल्य) (ग) (i) मोटर कार (ii) स्कूटर/मोटरसाइकिल (iii) रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर (iv) सेडियो/सेडियोग्राम/टेलीविजन सेट एवं अन्य वस्तुएं, जिनमें प्रत्येक का मूल्य ₹01000/- से अधिक हो (घ) दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे- कपड़े, बर्तन, पुस्तकें, कार्करी इत्यादि जिसे एकमुश्त के रूप में जोड़ा गया हो जिनमें प्रत्येक चल संपत्ति या मदों का मूल्य ₹0 1000/- या उससे कम हो।
- कॉलम-5 में यह सूचित किया जाए कि संपत्ति कय द्वारा, वैयक्तिक रूप से, उपहार या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त की गई है।
- कॉलम-6 में विभिन्न अंतरण के संबंध में तैयार स्पष्ट या प्रात मंजूरी के संबंध में विवरण दिए जाएं।

फॉर-IV

31 दिसम्बर 2025 तक/01.01.2026 को स्थिति को प्रथम नियुक्ति पर भविष्य निधि एवं जीवन बीमा पॉलिसी का विवरणी

कम से 0	पॉलिसेरी सं 0 तथा पॉलिसेरी की तिथि	बीमा कंपनी का नाम	वार्षिक प्रीमियम की राशि	गविष्य निधि / जीपीएफ का प्रकार एवं लेखा संख्या	लेखा परीक्षा / लेखा अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शेष दिया गया अंतिम शेष तथा ऐसे शेष की तिथि	उत्तरावर्ती अंशदान	कुल	टिप्पणी (यदि अंतिम शेष के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति हो तो सरकार की कर्मचारी द्वारा दिए गए आवक भी इस कॉलम में दिए जाएं)

दिनांक

इत्युत्तरम्

फॉर्म-V

31 दिसम्बर 2025 तक / 01.01.2026 की स्थिति को प्रथम नियुक्ति पर कर्ज एवं अन्य देयताओं का विवरणी

क्रम सं०	साक्षि-कर्ज देनेवाले का नाम एवं पता	दायित्व प्राप्ति तिथि	अवरण का विवरण	टिप्पणी

दिनांक

हस्ताक्षर

टिप्पणी-

1. ऋणों की प्रत्येक मद जो तीन माह की परिलब्धियों या रू० 1000/- से अधिक नहीं हो, इसमें से जो कम हो, को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
2. परिलब्धियों का तात्पर्य सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्तों से है।
3. विवरण में सरकारी कर्मचारी की उपलब्ध विभिन्न ऋण एवं अग्रिम भी शामिल होने चाहिए जैसे- वाहन कच हेतु अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम आदि जीपीएफ से अग्रिम एवं जीवन बीमा पॉलिसी एवं आवधिक जमा पर ऋण।